


14⁵
25

पत्रावली पेशा वकील काडी लाजिद।
पत्रावली में पूर्व में भी वकील
काडी को अंतिम दिखायत ही गई
थी कि आगामी पेशी पर

सामिल की रसीडे' पेरा करे, अन्यथा
आदेश 9 नियम 5 के तहत आदेश
पाविल किया जायेगा लेकिन कमी
वाडी न आभ दिनांक तक सामिल
की रसीडे' पेरा नली की। अतः
वाडी का वाड आदेश 9 नियम 5
के तहत खालि किया जायलै
पत्रावली फॉलप शुभाव लोक
नम्बर वन कम लोक दाखिल
दफतर ही



इप्रखण्ड अधिकारी, दांतरामगढ़